9-348/12

# न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
## (जिला शस्त्र शाखा)
### –: आदेश :–

13

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–348/2012 में आवेदक **श्री प्रमोद कुमार,** पिता–श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सा0–सुलतानगंज, पो0+थाना–दानापुर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–07.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे स्वर्ण व्यवसायी हैं। उनका सोने–चाँदी के आभूषण का प्रतिष्ठान है। वार्षिक टर्नओवर 1.70 करोड़ है। उनके साथ पूर्व में आपराधिक घटना घटी है, जिसके संबंध में (1) दानापुर थाना कांड सं0–89/05, दि0–04.02.05 एवं काण्ड सं0–656/05, दि0–29.11.05 दर्ज किया गया है। उन्हें व्यवसाय के सिलसिले में नित्य दिन दानापुर से बोरिंग रोड स्थित अपने फर्म पर सुबह 10:00 बजे जाना पड़ता है तथा 9:00 बजे रात्रि में वापस लौटना होता हैं। दि0–4.02.13 को उनके मोबाईल पर 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये रंगदारी SMS द्वारा माँगी गयी थी, जिसके संबंध में दानापुर थाना में केश सं0–78/13, दि0–24.02.13 को दर्ज कराया गया है। उनके द्वारा जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–15/गो0, दिनांक–03.01.2013 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर के माध्यम से प्राप्त कर मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, दानापुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी गयी है। पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, दानापुर द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि पूर्व में आपराधिक घटना घटी है, जिसके संबंध में दानापुर थाना कांड सं0–89/05, दि0–04.02.05 एवं काण्ड सं0–656/05, दि0–29.11.05 दर्ज किया गया। साथ हीं थानाध्यक्ष के द्वारा आवेदक के अनुज्ञप्ति आवेदन पर विचार कर जान–माल की सुरक्षा हेतु आवेदक को एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

9-348/12

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रमोद कुमार, पिता–श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सा0–सुलतानगंज, पो0+थाना–दानापुर, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।